

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

एन.टी.ए. बिल्डिंग, नए दिल्ली

संख्या- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संखनऽ/ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय तामः

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयन और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा राशिक
र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा
रिषद, 30/90 संखनऽ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में
सम्बद्धता समिति की बैठक संघनन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण
संघनित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दी पर विचार करते हुए सत्र
21-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने मर्दी निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90
संखनऽ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता
स्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1568-1 V S POLYTECHNIC, 123 MILE STONE, MATHURA -DELHI HIGHWAY,
1-2, AKBARPUR, MATHURA

संखनऽ	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL)	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद वर्ष 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2019

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

-कार्यालय जाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सैक्रिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/सी०टी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1568	आई०टी०एच० पब्लि० 123 माइल स्टोन, मथुरा दिल्ली हाइवे, एन०एच०-2 अकबरपुर मथुरा	सिकिल इंजी मेकैनिक्ल इंजी (प्रो०) कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी इलेक्ट्रिकल इंजी० इम्प्लिमेंटेशन (ए०) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

शर्तें हेतु शर्तें

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

कार्यालय,
समित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लिष संव 2020-21 हेतु डिप्लोमा सारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरतत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवन् हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पुद्धि सहित अन्य मतो पर विचार करते हुए संव 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में डिप्लोमा इन इंजीी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संव 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ संव 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संव 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से संव 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा संव 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/द्वारा संव 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संव 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1588	आई0वी0ए0ए0 सी0टी0ई0के0 123 गार्डन स्टॉन म्यूर, दिल्ली हाइवे, एन्करन0-2 अजमेरपुर, म्यूर।	सिविल इंजीी इलेक्ट्रिकल इंजीी (पुलिटेक्निकल कन्ट्रोल) इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीी मेकेनिकल इंजीी एंड ड्रॉफ्टिंग मॉडल एंड इंजीी	80 80 80 80 80	80 80 80 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजीी पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि संव 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।